

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

क्रमांक / सरिश्ता / 290 / 24 / 2024 / ५४०

दिनांक १४.06.2024

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : शम्भू बनाम कैलाश

उपरोक्त विषयाकित्त अनवान के प्रकरण में ग्राम बिलोदा प.ह. जालमपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ सम्वत 2076-2076 खतौनी सं. 109 में अकित्त आराजी न. 230 कुल कीता 1 कुल रकबा 1.4400 हेक्टर भूमि की बिना किसी के कब्जे में दखलन्दाजी किये पक्षकारान को लिखित सूचना देकर सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढ़ी (सीमांकन) कर दिया जावे। शुल्क 1500 रुपए अक्षरे पन्द्रह सौ प्रार्थी वहन करेंगे। पालना रिपोर्ट न्यायालय में शीघ्र भिजावे।
सलंगन -प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति



(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़